पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14/2016–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

उप निदेशक (त॰),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00, लघुशीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0105–कौशल विकास मिशन" (विपत्र कोड 43-2203001120105) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2535, दिनांक 17.09.2018 के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के तहत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन पंजीकृत एवं निर्धारित निजी एवं सरकारी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी (SDCs & GTPs) के प्रशिक्षण एवं मूल्याकंन तथा प्रमाणन व्यय का, बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के आधार पर, भुगतान के लिए कुल रू० 8,05,38,000=00 (आठ करोड़ पांच लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 2003 प्रशिक्षण व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रू० 8,05,38,000=00 (आठ करोड़ पांच लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक–354, दिनांक 28.03.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह॰/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14/2016– 76 /पटना, दिनांक 10-10-018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (आई॰आई॰आई॰) सह नोडल पदाधिकारी/उप निदेशक (यो)/ आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.10.18

निदेशक

09/10/18